राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र

मामला कमांक 0021/अ- 9(3)/2017-18

(1)	(2)	(3)
23-3-2018	प्रकरण तहसीलदार देवास की ओर से प्रतिवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी (रा) देवास के माध्यम से प्राप्त। प्रकरण का परीक्षण किया गया। प्रकरण में मुख्य रूप से यह तथ्य प्रस्तुत किया गये है कि, कार्यपालन यन्त्री, जल संसाधन संभाग देवास, के द्वारा पत्र कमांक 273/कार्य/2018/824 दिनांक 27.02.2018 के द्वारा पटपडी बांध के डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम जामगोद स्थित भूमि सर्वे कमांक 61/मीन-1 रकबा 27.560 हें. ग्राम आनंदपुर डूंगरिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 836/1 रकबा 4.290 एवं सर्वे कमांक 806 रकबा 11.760 हें., ग्राम खटाम्बा स्थित भूमि सर्वे कमांक 197/1 रकबा 12.520 सर्वे कमांक 197/2 रकबा 19.920 कुल सर्वे कमांक 5 कुल. रकबा 86.050 हे. भूमि में से 72.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने के लिए चिन्हांकित करने की मांग पर से संबंधित राजस्व निरीक्षक/मौजा पटवारी से जॉच करवाई गई। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम जामगोद स्थित भूमि सर्वे कमांक 66/मीन-1 रकबा 27.560 हे. मद अन्य शासकीय विभाग खसरा के कॉलम नं. 12 में उर्जा विकास निगम भोपाल दर्ज है, ग्राम खटाम्बा स्थित भूमि सर्वे कमांक 197/1 रकबा 12.520 हे. मद चरनोई, सर्वे नं. 197/2 रकबा 19.920 हे. में से पेकि रकबा 5.870 मद खसरा के कॉलम नं. 12 में दर्ज उर्जा विकास निगम भोपाल तथा ग्राम आनंदपुर डूंगरिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 806 रकबा 11.760 हे. मद शासकीय काबिल कास्ट व सर्वे कमांक 836/1 रकबा 14.290 हे. मद शासकीय चरनोई राजस्व भूमि पटपडी बांध की डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग देवास को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा की गई है । तहसीलदार देवास तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नानुसार राजस्व भूमि पटपडी बांध की डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वनविभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(3) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है :-	

(2) मामला कमांक 0021/अ-19(3)/2017-18

अनु. क.	ग्राम का नाम	भूमि सर्वे क.	रकबा	मद	विवरण
1	जामगोद	66 मिन 1	27.560	अन्य शासकीय विभाग	उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
2	खटाम्बा	97/1	12.520	चरनोई	पहाड़।
		97/2	19.920 में से 5.870 हे.	उर्जा विकास निगम	उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
3	आनंदपुर डुगरिया	806	11.760	शा.का. का.	उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
		836/1	14.290	शा. चरनोई	उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
योग		5	72.000		

उक्त योजना के लिए इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 0001/अ-19(3)/ 2016-17 में ग्राम पलासी, सुतारीपुरा, पांजरिया, हीरापुर, आगराबुर्जुग तहसील उदयनगर के कुल 10 सर्वे कमांक की 72.00 हे. भूमि हस्तांतरण हेतु पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 निरस्त करते हुए भूमि पूर्व अनुसार मद में प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

इस आदेश की प्रति वनमंडलाधिकारी, वन मण्डल (सामान्य) देवास, एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग देवास को भेजी जावे तथा प्रकरण तहसीलदार देवास को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि, वें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त मूल प्रकरण इस न्यायालय को लोटावें।

कलेक्टर,
जिला देवास (म.प्र.)

कलेक्टर,
जिला देवास (म. प्र.)

प्रति,
तहसीलदार,
देवास

न्यायालय कलेक्टर,जिला देवास म0प्र0

पृ0कमांक/ 172-78 /रीडर/2018 देवास,दिनांक 28.03.2018

प्रतिलिपि

1. - वनमंण्डलाधिकारी, वनमण्डल (सामान्य) जिला देवास।
2. - कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग देवास।

रीडर टू कलेक्टर
जिला देवास (म. प्र.)

न में शुल्क करी का ब्यौरा रुपये पैसों में

फार्म पी-II
खसरा

तिथि : १४/०९/२०१८ १४:०९

NIC-VER4-dewas

137608146741

...पुर डुंगरिया हल्का -५१ आनंदपुर डुंगरिया रा. नि. नं देवास ०१ तहसील देवास. जिला देवास वर्ष २०१८-२०१९

	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व या लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात ५ वर्ष से अधिक		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
८०६	१९.७६० फोरेस्ट रिजर्व १९.७६०	शासकीय									वन. रा.मंत्री. के न्या प्र.क्र.७-७-९-७/२० ११-१२ आ.दि. १०-११-११ के आदेश पालन में वन विकास निगम भोपाल की प्रविष्टि दर्ज की गई न्या कलेक्टर महोदय के न्या राजस्व प्र.क्र ०२१/अ-१९(३)/२ ०१७-१८ में पारित आदेश २६-०८-२०१८ एवं न्या तह देवास के न्या पत्र क्र १५३४/१-१/२०१८ देवास दिनांक ०७/०९/२०१८ के पालन में सर्वे क्र ८०६ रकबा १९.७६० भूमि [illegible] की सूची में आ रही वन भूमि

तहसील व जिला देवास (म.प्र.)

र में एक करो का ब्योरा रुपये पैसों में

फार्म पी-II

खसरा

तिथि : [illegible]

NIC-VER4-dewas

13760814674l

दपुर डुंगरिया   हल्का -५१ आनंदपुर डुंगरिया रा. नि. नं देवास ०१   तहसील देवास   जिला देवास   वर्ष २०१८-२०१९

क्र	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल			खाते के बाहर के खेतों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
खसरा क्र.८०६:निरंक											[illegible] के कारण [illegible] के लिए [illegible] विभाग को [illegible] जाने से [illegible] किया गया।

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :

नाम, पद एवं दिनांक :

तहसीलदार
तहसील व जिला देवास (म.प्र.)

@uyal
2020